




यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर
 तीरी उर्फ पासवरीर कौर बनाम तेजी आदि

क्रमांक..... 50 / 2019 अन्तर्गत धारा..... 212 RTA

क्र	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
6/12/19	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। वादी/प्राची अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु समय प्रदाया। अक्षिप्त अवसर दिया जाता है। अन्यथा बहस नहीं करने पर एकपक्षीय बहस खुली जाएगी। ग.प. की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ापी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 09/12/19 को पेश हो</p>	
9/12/19	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्तागण के द्वारा न्यायालय को अवगत करवाया कि वादी का प्रतिवादी से राजीनामा हो जाएगा। राजीनामा पेश करने हेतु समय दिया जावे। राजीनामा पेश करने हेतु समय प्रदाया जाता है। ग.प. की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ापी जाती है। पत्रावली वास्ते पेश करने राजीनामा दिनांक 12/12/19 को पेश हो</p>	 
17/12/19	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। प्रकरण में वादी का प्रतिवादीगण का राजीनामा हो गया है। सुलवाद में राजीनामा पेश किया गया अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही उपस्थित नहीं है। प्राची का मापना पत्र खारिज किया जाता है प्रकरण में जारी दिनांक 16/08/19 की आगामी विवेधारा निरस्त की जाती है। पत्रावली निरस्त होकर नम्बर से काम हो</p>	 <p>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)</p>

